

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256537  
SG-DL-E-22082024-256537असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 158
No. 215]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946	[N. C. T. D. No. 158

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अगस्त, 2024

फा0 सं0 50(15)/डीसी/स्था0/2023/476.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना संख्या फा0 24/78/68—डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 24.12.2013 की अधिसूचना संख्या फा0 50(29)/97/डीसी/स्था0/17777 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा औशधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में औशधि निरीक्षक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को औशधि नियंत्रण विभाग, औशधि निरीक्षक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।  
(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :- वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
  - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

**औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में औषधि निरीक्षक के पद हेतु भर्ती नियम**

1.	पदनाम	:	औषधि निरीक्षक
2.	पदों की संख्या	:	46 (2024) 'इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह-ख
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	8 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 / -रुपये)
5.	क्या चयन पद है / गैर-चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं  (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) 6(क) निर्णायक विवरण :

		आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।										
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	<p style="text-align: center;"><b>अनिवार्य</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>योग्यता</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>अनुभव</b></td> </tr> <tr> <td>किसी मान्यता प्राप्त वि० वि० विद्यालय अथवा संस्थान से नैदानिक फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता सहित फार्मसी अथवा औषध विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा चिकित्सा में डिग्री।</td> <td>लागू नहीं</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>वांछनीय</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">योग्यता : लागू नहीं</td> <td style="width: 50%;">अनुभव : लागू नहीं</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"><b>योग्यता मानक टीप</b></td> <td style="width: 50%;"><b>अनुभव मानक टीप</b></td> </tr> <tr> <td>अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।</td> <td>यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</td> </tr> </table>	<b>योग्यता</b>	<b>अनुभव</b>	किसी मान्यता प्राप्त वि० वि० विद्यालय अथवा संस्थान से नैदानिक फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता सहित फार्मसी अथवा औषध विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा चिकित्सा में डिग्री।	लागू नहीं	योग्यता : लागू नहीं	अनुभव : लागू नहीं	<b>योग्यता मानक टीप</b>	<b>अनुभव मानक टीप</b>	अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।	यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
<b>योग्यता</b>	<b>अनुभव</b>											
किसी मान्यता प्राप्त वि० वि० विद्यालय अथवा संस्थान से नैदानिक फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता सहित फार्मसी अथवा औषध विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा चिकित्सा में डिग्री।	लागू नहीं											
योग्यता : लागू नहीं	अनुभव : लागू नहीं											
<b>योग्यता मानक टीप</b>	<b>अनुभव मानक टीप</b>											
अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।	यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।											
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं										
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	02 अभ्युक्ति : टीप : सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित परिवीक्षा की पूर्णता के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रेरक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।										

10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पद्धति	प्रतिशत
		<p>सीधी भर्ती</p> <p>टीप :- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले तथा कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित भौक्षिक योग्यताएं रखने वाले केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र भासित प्रदेश के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।)</p>	100
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाना है	<p>लागू नहीं</p> <p>मानक टीप : लागू नहीं</p>	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	<p>विभागीय पदोन्नति समिति</p> <p>1. लागू नहीं (अध्यक्ष)</p> <p>2. लागू नहीं (सदस्य)</p> <p>3. लागू नहीं (सदस्य)</p>	<p>विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <p>1.अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) – अध्यक्ष</p> <p>2.विभाग के प्रशासनिक सचिव – सदस्य</p> <p>3.विशेष/अपर सचिव (" शह0वि0) – सदस्य</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।</p>	

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से  
तथा उनके नाम पर,  
राज कुमार, उप-सचिव

**HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 19th August, 2024

**F. No. 50(15)/DC/Estt./2023/476.**----In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.24/78/68-DH(S) dated 24.09.1968 and in supersession of this Government's Notification No. F.50(29)/97/DC/Estt/17777 dated 24.12.2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Drugs Inspector in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

**1. Short title and commencement-**

- (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Drugs Inspector Recruitment Rules, 2024
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix-** The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.

**4. Disqualification.-**No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Recruitment Rules for the post of Drugs Inspector in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Drugs Inspector	46 (2024)  *Subject to variation dependent on workload	<b>General Central Service</b>  Non Ministerial Gazetted Group, B	8  Remark : Level 8 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 30 years  (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>6(a) Crucial description:</b>  The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the UPSC

Educational and other Qualifications required for Direct Recruits		Whether age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/ Absorption & percentage of vacancies to be filled by various methods	
7		8	9	10	
<b>Essential:</b>		<b>AGE: NA</b> <b>Edu. Qual: NA</b>	02  Remark : Note: There	<b>Method</b>	<b>Percentage</b>
<b>Qualification:</b>	<b>Experience: NA</b>				

Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Science or Microbiology or in Medicine with specialization in Clinical Pharmacology from a recognized University or Institute			shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Competent Authority	Direct recruitment	100
<b>Desirable</b>				<u>Note:</u> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of central Government/ State Government/ UTs holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/  department and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7. (The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)	
<b>Qualification:</b> Not Applicable	<b>Experience:</b> Not Applicable				
<b>Qualification Standard Note</b>	<b>Experience Standard Note</b>				
Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified	The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them				

In case of Recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12		13
Not Applicable  <b>Standard Note:</b>  NA	<u><b>Departmental Promotion Committee</b></u>  1. NA (Chairman)  2. NA (Member)  3. NA (Member)	<u><b>Departmental Confirmation Committee</b></u>  1. Addl Chief Secretary (Home)/ Pr. Secretary (Home) (Chairman)  2. Administrative Secretary of the Department (Member)  3. Special/ Addl Secretary (UD) (Member)	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

By Order and in the Name of Lt. Governor Delhi

RAJ KUMAR, Dy. Secy.